अध्याय 2

प्रशासन

धारा 3 : इस अधिनियम के अधीन अधिकारी

प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, आयुक्तों और उतने अन्य वर्ग के अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा जितने इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित हों और ऐसे अधिकारियों को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, उचित अधिकारी समझा जाएगा :

परन्तु विद्यमान विधि के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा।